

	<p>नेशनलसीड्सकॉर्पोरेशनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिला- श्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509&223873 ई-मेल:ago.csfsuratgarh@gmail.com</p>	<p>NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar</p>	
---	---	---	---

सी.एस.एफ./2-271/जूली/कृषि/सूरत./2021-22/

दिनांक: 16.09.2021.

निविदा सूचना

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ (राज0) (वर्ष 2021-22 के लिए) द्वारा फार्म के 3 खण्डों के चकों में विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ीयां को जमीनी सतह से कटाई करके “जहाँ है जैसा है” के आधार पर कुत्तर कर फार्म द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर अपने संसाधनों से आपूर्ति करने के लिये मोहरबंद निविदाएँ के लिये इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों से सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदायें दिनांक 30.09.2021 को दोपहर 1.00 बजे तक ली जायेगी और उसी दिन दोपहर 2.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदायें खोलने से पूर्व खुली बोली का भी आयोजन किया जायेगा। निविदा एवं खुली बोली में भाग लेने के लिए निविदादाता को रु.236/- का D.D. फार्म राशि व रु.50000/- (रु0 पचास हजार मात्र) प्रति खण्ड के हिसाब से डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के नाम से देय हो, धरोहर राशि के रूप में जमा करवाना होगा। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्त निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है। एक निविदादाता केवल एक ही खण्ड में भाग ले सकता है।

प्रबन्धक (उत्पादन)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ के तीनों खण्डों पर खड़ी जूलीफ्लोरा की झाड़ियां की जमीनी सतह से काटने के बाद कुत्तर कर फार्म द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर अपने संसाधनों से आपूर्ति करने के लिय हेतू नियम एवं शर्ते (वर्ष 2021-22 के लिए)।

1. निविदा में भाग लेने के लिये प्रतिखण्ड के लिए रु. 50000/- मात्र प्रत्येक खण्ड के हिसाब से धरोहर राशि के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़ के पक्ष में देय हो देना होगा, बिना धरोहर राशि के कोई भी निविदा मान्य नहीं होगी और यह धरोहर राशि सन्तोषजनक कार्य पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। निविदादाताओं को अपना पैन कार्ड, बैंक पास बुक की छायाप्रति जिस पर आईएफएससी कोड अंकित हो व स्थायी पता का कापी निविदा के साथ संलग्न करनी अनविर्य हैं।
2. सफल निविदादाता के द्वारा जमा की गई धरोहर राशि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के बाद ही लौटाई जायेगी, जिस पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
3. निविदा की उच्च बोली/निविदादर की स्वीकृति/अस्वीकृति उसी दिन सायं या एक सप्ताह के अंदर घोषण कर दी जायेगी। निदेशक को बिना कारण बताये किसी एक या सभी प्रस्तावों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
4. कुत्तर की जाने वाले जूलीफ्लोरा कि दर प्रति क्विंटल होगी, किसी भी प्रकार का सरकार को देय टैक्स इत्यादि अगर होगा तो उसका भुगतान पार्टी को स्वयं करना होगा।
5. कटाई का कार्य एक सिरे से करना होगा, एवं छोटा-मोटा जो भी जूलीफ्लोरा खड़ा है उसे काट कर कुत्तर बनाकर ले जाना होगा। पूरा कार्य चक इन्वार्ज की देखरेख एवं निर्देशानुसार करना होगा।
6. अन्तिम रिलिज आदेश से पुर्व 100.00 कुण्टल भार से कम का रिलिज आदेश किसी भी हालात में जारी नहीं किया जायेगा।
7. ठेकेदार को कार्य करने का आदेश मिलने के बाद तुरंत अपने साधन लगाकर कार्य शुरु करना होगा। यह कार्य खण्डप्रभारी/चक प्रभारी के निर्देशानुसार करना होगा।
8. वाहनों को आने जाने के लिये जो रास्ता निर्धारित है ठेकेदार उसी का उपयोग करेगा, वह अलग से कोई रास्ता नहीं बनायेगा। ठेकेदार या उसका आदमी किसी भी प्रकार का झगड़ा/विवाद फार्म कर्मचारी के साथ नहीं करेगा। ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा किसी प्रकार का नुकसान फार्म को किया गया तो उसका सम्पूर्ण जिम्मेवार ठेकेदार ही होगा तथा निदेशक द्वारा लगाया गया दण्ड/जुर्माना, ठेकेदार द्वारा देय होगा।
9. पूरी ट्राली को एक ही दिन में भर तौल कर ले जाना होगा। खण्ड-1 के माल का वजन खण्ड-1 के धर्मकार्टे पर और खण्ड-2 व 3 का माल खण्ड-2 के धर्मकार्टे पर करना होगा।
10. उचित गेट पास द्वारा ही लकड़ी ले जाने की अनुमति होगी। जूलीफ्लोरा के अतिरिक्त निविदादाता अन्य कोई पेड काटने हेतू अधिकृत नहीं होगा।
11. यदि ठेकेदार कोई अनाधिकृत हरे खड़े वृक्ष को काटता हैं तो उसे फार्म निदेशक द्वारा निर्धारित जुर्माने का भुगतान करना होगा। ठेकेदार को किसी भी अनाधिकृत पेड़ को काटने के मामलों में फार्म संपत्ति के रूप में जमा कराना होगा।
12. लदाई/उतराई आदि के समय कोई दुर्घटना हो जाये तो इसके लिए फार्म कतई जिम्मेवार नहीं होगा तथा पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। ठेकेदार के श्रमिकों के हर प्रकार की जिम्मेवारी जैसे Insurance & Driving License इत्यादि पूर्ण रूप से ठेकेदार की होगी।
13. कार्य करने की अवधि सुबह 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ही होगी। कार्य अवधि कार्य आदेश से 31.03.2022 तक होगी।
14. कार्य के दौरान ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा फार्म का किसी प्रकार का नुकसान किया गया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
15. कार्य के दौरान ठेकेदार के द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसके लिए फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा।
16. यदि कोई ठेकेदार कार्य को बीच में छोड देता है तो उसकी अमानत राशि जब्त कर और बकाया कार्य किसी अन्य ठेकेदार से करवाया जायेगा। यदि इसको करवाने में फार्म को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान होता हैं उसकी भरपाई ठेका बीच में छोडने वाले ठेकेदार से की जायेगी और ठेकेदार को संस्था की डीबार लिस्ट में डाल दिया जायेगा।
17. कार्य शुरु करने से पहले ठेकेदार को 100-00 रुपये का स्टाम्प अपने खर्चे से खरीद कर व सभी शर्तों को उस पर लिखकर देना होगा कि मुझे सभी शर्ते मंजूर हैं।

18. यदि पूर्व में जूलीफ्लोरा जमीनी सतह से कटा पडा हो एवं पार्टी ने केवल कुत्तर कार्य किया हो तो (खण्ड/चक प्रभारी निर्देशानुसार) जूलीफ्लोरा कटाई का भुगतान फार्म द्वारा पार्टी को नहीं दिया जायेगा।
19. गन्तव्य स्थान पर आपूर्तित जूलीफ्लोरा कुत्तर निर्धारित नमी पर स्वीकार्य होगी। यदि कुत्तर की नमी निर्धारित से अधिक होगी तो सम्बन्धित अंत्यहणकर्ता उसी अनुपात में कुत्तर के भार में कटौती सुनिश्चित होगी। गन्तव्य केन्द्र पर आपूर्तित जूलीफ्लोरा कुत्तर के भार की प्राप्ति रसीद फार्म को सुर्पुद करनी होगी, साथ ही फार्म के धर्मकांटे पर तुलाई करवाई गयी रसीद भी फार्म को सुर्पुद करनी होगी। तदुपरान्त ही सम्बन्धित निविदादाता को भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
20. सफलनिविदादाता को कार्य आवंटित किये जाने बाद ठेकेदार के किसी श्रमिक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए फार्म कतई जिम्मेवार नहीं है।

मध्यस्थता खंड (Arbitration Clause)

यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जाने से पहले दोनों पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

पार्टी का नाम/हस्ताक्षर

निविदा प्रपत्र

निदेशक,
केन्द्रीय राज्य फार्म,
सूरतगढ़ (राज0)।

विलायती कीकर (जूलीफ्लोरा) की झाड़ीयां को जमीनी सतह सेकटाई करके “जहाँ है जैसा है” के आधार पर कुत्तर कर फार्म द्वारा बताये गये स्थान पर अपने संसाधनों से आपूर्ति करने के लिये लिए टेण्डर फार्म

क्रमांक	कार्य का विवरण	खण्ड	दर प्रति क्विंटल रूपये में (सभी प्रकार के कर सहित), जो पार्टी के द्वारा कुत्तर तैयार करने के बदले फार्म से ली जायेगी।	दर प्रति कुंटल प्रति किलोमीटर रूपये में (सभी प्रकार के कर सहित), जो पार्टी के द्वारा तैयार जूलीफ्लोरा कुत्तर की निर्देशित स्थान पर आपूर्ति करने के बदले फार्म से ली जायेगी।
1	फार्म के खण्ड में जूलीफ्लोरा की जमीनी सतह से कटाई करने के बाद कुत्तर बनाकर खण्ड के विनोइंग सेंटर पर तौल कराना। तौल करने के बाद सफलनिविदादाता के द्वारा अपने संसाधनों के माध्यम से फार्म द्वारा बताये गये स्थान पर जूलीफ्लोरा कुत्तर की आपूर्ति करना।	खण्ड एक		
		खण्ड दो		
		खण्ड तीन		

टेकेदार के हस्ताक्षर

टेकेदार का नाम व पता.....

.....

मोबाईल नं0

सलंगन डी.डी. न.....

डी.डी. की राशि/तारीख.....